रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 312] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 1978/कार्तिक 6, 1900
No. 312] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1978/KARTIKA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1978

सा० का० नि० 512(अ) :—केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड (कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'बोर्ड' से अभिप्रेत है तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 के अधीन गठित तेल उद्योग विकास बोर्ड;

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत बोर्ड का अध्यक्ष;

(ग) "मुख्य लेखा अधिकारी" से अभिप्रेत है तेल उद्योग विकास बोर्ड का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी;

(घ) "बालक" से अभिप्रेत है अप्राप्त बालक, और इसके अन्तर्गत, जहां अभिदाता को लागू स्वीय विधि द्वारा दत्तक ग्रहण को मान्यता प्राप्त है वहां, दत्तक बालक भी है;

(ङ) "उपलब्धियां" से वेतन, छुट्टी का वेतन, अथवा बोर्ड द्वारा समय समय पर अवधारित रीति से दिया जाने वाला जीवन निर्वाह अनुदान, यदि कोई हो, अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत वेतन, छुट्टी के वेतन, या जीवन निर्वाह अनुदान, के यदि अनुज्ञेय है तो, उपयुक्त महंगाई वेतन भी है,

(च) "कर्मचारी" से बोर्ड द्वारा सीधे भर्ती किया गया व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार के प्राधीन सेवा से त्यागपत्र देने के बाद, बिना व्यवधान के, लोकहित में, बोर्ड के कर्मचारी के रूप में आमेलित किया गया हो,

(छ) 'कुटुम्ब' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) पुरुष अभिदाता की दशा में, अभिदाता की पत्नी या पत्नियां और बालक, तथा अभिदाता के किसी मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और बालक,

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है, अथवा वह उस समुदाय की, जिसकी कि वह है, रूढ़िक विधि के अधीन उससे भरणपोषण प्राप्त करने की अन्यथा हकदार नहीं रह गई है तो, आगे से यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में, जिनका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटुम्ब की

सदस्य नहीं रह गई है, जब तक कि अभिदाता ने सचिव को लिखित रूप में बाद में यह सूचना न दे दी हो कि उसे बराबर इसी रूप में माना जाता रहेगा,

(ii) स्त्री अभिदाता की दशा में, अभिदाता का पति और बालक, तथा अभिदाता के किसी मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और बालक,

परन्तु यदि कोई अभिदाता सचिव को लिखित रूप में सूचना देकर अपने पति को अपने कुटुम्ब से अपवर्जित कर देने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है तो आगे से यह समझा जाएगा कि वह पति उन मामलों में, जिनका संबंध इन नियमों से है, अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गया है, जब तक कि अभिदाता बाद में लिखित रूप में यह सूचना रद्द न कर दे,

(ज) 'निधि' से तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि अभिप्रेत है,

(झ) 'छुट्टी' से बोर्ड द्वारा मान्य किसी भी प्रकार की छुट्टी अभिप्रेत है,

(ञ) 'सचिव' से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(ट) 'अभिदाता' से निधि का सदस्य अभिप्रेत है;

(ठ) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(ड) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भविष्यनिधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में क्रमशः दिए गए हैं,

(ढ) ऐसे शब्दों और पदों से, जो यहां प्रयुक्त हुए हैं और इन नियमों अथवा भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः मौलिक नियमों में दिए गए हैं।

3. निधि का गठन—(1) निधि रुपयों में रखी जाएगी।

(2) इन नियमों के अधीन निधि में संदत्त सभी रकमें डाकखाने के या किसी राष्ट्रीकरण बैंक के बचत-बैंक खाते में, जिसका नाम "तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि खाता" होगा और जो न्यासियों के लिए, जो निम्नलिखित होंगे, लेखा अधिकारी द्वारा चलाया जाएगा, जमा की जाएगी और बोर्ड की पुस्तकों में इस प्रकार जमा की गई दिखाई जाएंगी :—

(i) सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड, पदेन,

(ii) मुख्य लेखा अधिकारी, तेल उद्योग विकास बोर्ड, पदेन, और

(iii) सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि, जिसे अध्यक्ष अपने विवेकानुसार, नामनिर्दिष्ट करेगा।

(3) उपनियम (2) के खण्ड (iii) के अधीन इस प्रकार नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि नामनिर्देशन की तारीख से एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, न्यासी के रूप में कार्य करेगा।

(4) निधि में की वे अनुबद्ध रकमें, जो निधि में से बाध्यकर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल आवश्यक न हों, ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों, सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों, लघु बचत लिखतों या जमा स्कीमों में अथवा ऐसी अन्य रीति से जमा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

4. पात्रता की शर्तें—(1) ये नियम ऐसे हर कर्मचारी को लागू होंगे, जिसने उस मास के, जिसमें उसने एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी की थी, बाद वाले मास के प्रारम्भ से बोर्ड के सचिवालय में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो।

(2) यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जिसे निधि के फायदे दिए गए हैं, उन फायदों के किए जाने से पूर्व किसी समय किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाता रहा तो उक्त अंशदायी भविष्य निधि में उसके नाम जमा रकमें (जिनमें ऐसी भविष्य निधि में उसके संबंध में, उसके भूतपूर्व नियोजकों के अंशदान, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, उन पर ब्याज सहित, उन दशाओं में निधि में उसके नाम अन्तरित कर दी जाएंगी जहां ऐसा कर्मचारी सभी प्रयोजनों के लिए भूतपूर्व नियोजक का कर्मचारी नहीं रह गया है।

5. नामनिर्देशन—(1) खाते में शामिल होते समय अभिदाता सचिव के पास एक नामनिर्देशन पत्र भेजेगा जिसमें वह रकम संदेय होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में या उस दशा में जब रकम संदेय हो किन्तु दी न गई हो, एक या अधिक व्यक्तियों को यह रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा, तो निधि में अभिदाता के नाम जमा हो;

परन्तु नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कोई कुटुम्ब हो तो नामनिर्देशन उसके कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां किसी अन्य भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा रकमें निधि को अन्तरित कर दी गई हों वहां ऐसी भविष्य निधि के संबंध में किया गया नाम निर्देशन, जब तक कि वह इस नियम के अनुसार कोई नामनिर्देशन नहीं करता, या नहीं करती, इस नियम के अनुसार सम्यक् रूप से किया गया नया नामनिर्देशन समझा जाएगा।

(2) यदि कोई अभिदाता उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन करता है तो वह प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय रकम या अंश उस नामनिर्देशन पत्र में इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि खाते में किसी भी समय उसके नाम जमा सकल सब रकम उसके अन्तर्गत आ जाए।

(3) प्रत्येक नामनिर्देशन प्रथम अनुसूची में दिए गए प्ररूपों में से उस एक प्ररूप में किया जाएगा जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो।

(4) अभिदाता सचिव को लिखित रूप में सूचना भेजकर किसी भी समय नामनिर्देशन रद्द कर सकता है और यदि वह नामनिर्देशन इस प्रकार रद्द कर देता है तो वह ऐसी सूचना के साथ या अलग से ऐसा नया नाम निर्देशन भेजेगा जो इस नियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया हो।

(5) अभिदाता नामनिर्देशन में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकेगा,—

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के संबंध में, यह कि अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर उस नामनिर्देशिती को दिया गया अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा जो नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु यदि अभिदाता के कुटुम्ब के अन्य सदस्य हैं तो उपर्युक्त अन्य व्यक्ति उसके कुटुम्ब के ही ऐसे अन्य सदस्य होंगे और यह कि यदि अभिदाता इस खण्ड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है तो वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को संदेय रकम या अंश ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अन्तर्गत वह सारी रकम आ जाए जो किसी भी समय उसके नाम जमा हो।

(ख) यह कि नामनिर्देशन, उसमें विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के घटित होने पर अधिदिमान्य हो जाएगा :

परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कोई कुटुम्ब नहीं है तो वह नामनिर्देशन में इस बात का उपबन्ध करेगा कि यदि बाद में

उसका कोई कुटुम्ब हो जाता है तो उपयुक्त नामनिर्देशन अविभिमान्य हो जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कोई कुटुम्ब का केवल एक ही सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में यह व्यवस्था करेगा कि खण्ड (क) के अधीन अनुकल्पी नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उस दशा में अविधिमान्य हो जाएगा जब बाद में उसके कुटुम्ब में कोई अन्य सदस्य आ जाता है या आ जाते हैं ।

(6) ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु के तुरन्त बाद, जिसकी मृत्यु की बाबत उप-नियम (5) के खण्ड (क) के उपबन्ध के अनुसार नाम-निर्देशन में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अथवा ऐसी कोई घटना घट जाने पर जिसके कारण उस उप नियम के खण्ड (क) के अनुसरण में किए गए किसी उपबन्ध के आधार पर वह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाता है, अभिदाता नामनिर्देशन को रद्द करते हुए सचिव को लिखित रूप में एक सूचना भेजेगा और उसके साथ इस नियम के उपबन्धों के अनुसार एक नया नामनिर्देशन भी भेजेगा ।

(7) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और उसे रद्द किए जाने की प्रत्येक सूचना उस सीमा तक जिस सीमा तक वह विधिमान्य है, उस तारीख को प्रभावी हो जाएगी जिसको वह सचिव को प्राप्त होती है।

6. अभिदाता के खाते प्रत्येक अभिदाता के नाम एक खाता खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित विख्याए जाएंगे—

(i) उसके अभिदाय,

(ii) बोर्ड द्वारा नियम 10 के अधीन खाते में किए गए अंशदान,

(iii) अभिदायों पर ब्याज, जैसा कि नियम 11 द्वारा उपबन्धित है,

(iv) अंशदानों पर ब्याज, जैसा कि नियम 11 में उपबन्धित है ।

(v) खाते में से लिए गए उधार और निकाली गई रकमें ।

7. अभिदाय की शर्तें—(1) प्रत्येक अभिदाता, जब वह ड्यूटी पर हो तब किन्तु निलम्बन की अवधि के दौरान नहीं, निधि में प्रतिमास अभिदाय करेगा :

परन्तु निलम्बन की अवधि के पश्चात पुनः स्थापन पर अभिदाता को उस अवधि के लिए अनुज्ञेय अभिदायों के बकायों की अधिकतम रकम से अनधिक कोई रकम एक मुश्त, या किस्तों में, देने का विकल्प अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) अभिदाता ऐसी छुट्टी के दौरान, जिसमें कोई छुट्टी वेतन न मिलता हो, या जिसका छुट्टी वेतन आधे वेतन या आधे औसत वेतन के बराबर या उससे कम हो, अपने विकल्प पर, अभिदाय नहीं भी कर सकेगा।

(3) अभिदाता उप-नियम (2) में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने की अपनी इच्छा निम्नलिखित रीति से सूचित करेगा, अर्थात :

(क) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अपने वेतन बिल स्वयं लिखता है तो, छुट्टी पर जाने के पश्चात लिखे गए अपने पहले वेतन बिल में अभिदायों मद्दे कोई भी कटौती न करके,

(ख) यदि वह ऐसा अधिकारी नहीं है जो अपना वेतन बिल स्वयं लिखता है तो, छुट्टी पर जाने से पूर्व कार्यालय के अध्यक्ष को लिखित संसूचना भेजकर,

टिप्पण :—(i) समय पर सम्यक् सूचना न देने पर यह समझा जाएगा कि उसने अभिदाय करने का चयन किया है ।

(ii) इस उपनियम के अधीन सूचित अभिदाता का विकल्प अन्तिम होगा ।

(4) वह अभिदाता, जिसने नियम 18 के अधीन अभिदाय की रकम और उस पर ब्याज निकाल लिया है, ऐसी निकासी के पश्चात निधि में तब तक अभिदाय नहीं करेगा जब तक कि वह ड्यूटी पर वापस न आ जाए।

8. अभिदाय की दर—(1) अभिदाय की रकम, निम्नलिखित शर्त के अधिन रहते हुए, स्वयं अभिदाता द्वारा नियत की जाएगी, अर्थात :—

(क) इसे पूरे-पूरे रुपयों में व्यक्त किया जाएगा,

(ख) यह इस प्रकार व्यक्त की गई कोई भी रकम हो सकती है जो उसकी उपलब्धियों के 8-1/3 प्रतिशत से कम नहीं होगी और उसकी उपलब्धियों से अधिक नहीं होगी।

(2)(2) उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ, अभिदाता की उपलब्धियां :—

(क) ऐसे अभिदाता की दशा में, जो पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में था, वे उपलब्धियां होंगी जिनका वह उस तारीख को हकदार था :

परन्तु—,

(i) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर रहा हो और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का चयन किया हो, या उक्त तारीख को निलम्बित रहा हो तो, उसकी उपलब्धियां वे उपलब्धियां होंगी जिनके लिए वह ड्यूटी पर वापस आने के पश्चात के पहले दिन हकदार था,

(ii) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तारीख को छुट्टी पर था और तब से छुट्टी पर रहा है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का चयन दिया है तो, उसकी उपलब्धियां वे उपलब्धियां होंगी जिनके लिए वह तब हकदार होता जब वह भारत में ड्यूटी पर रहता;

(iii) यदि अभिदाता उक्त तारीख के पश्चातवर्ती दिन को प्रथम बार निधि में शामिल हुआ हो तो, उसकी उपलब्धियां वे उपलब्धियां होंगी, जिनके लिए वह ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को हकदार था;

(ख) ऐसे अभिदाता की दशा में जो पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में नहीं था, वे उपलब्धियां होंगी, जिनके लिए वह सेवा के प्रथम दिन हकदार था, अथवा यदि वह अपनी सेवा के प्रथम दिन के पश्चात पहली बार निधि में शामिल हुआ है तो वे उपलब्धियां होंगी जिनके लिए वह ऐसी पश्चात वर्ती तारीख को हकदार था :

परन्तु यदि अभिदाता की उपलब्धियां ऐसी हैं जो घटती-बढ़ती रहती है तो उनकी गणना ऐसी रीति से की जाएगी जिसका सचिव निदेश दे ;

(3) अभिदाता प्रतिवर्ष मासिक अभिदाय की रकम निश्चित किए जाने की सूचना निम्नलिखित रीति से देगा :

(क) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च से ड्यूटी पर था तो, ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के अपने वेतन बिल में से इस निमित करता है या करवाता है,

(ख) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का चयन किया था या वह उस तारीख को निलम्बित था तो, ऐसी कटौती द्वारा जो वह ड्यूटी से वापस आने के बाद के अपने प्रथम वेतन बिल में से इस निमित करता है या करवाता है,

(ग) यदि वह वर्ष के दौरान प्रथम बार बोर्ड की सेवा में आया है तो, ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के, जिसके दौरान वह निधि में शामिल होता है, अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करता है या करवाता है;

(घ) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहता है, और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का चयन किया है, अथवा यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को अन्यत्र सेवा में था, तो, ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करवाता है,

(ङ) यदि उसकी उपलब्धियां उपनियम (2) के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रकार की हैं तो ऐसी रीति से जिसका निदेश सचिव दे।

(4) इस प्रकार नियत किया गया अभिदाय वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार बढ़ाया या घटाया जा सकता है:

परन्तु यदि अभिदाय की रकम को इस प्रकार घटाया जाए तो वह उप-नियम (1) द्वारा विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि कोई अभिदाता किसी कलेंडर मास के किसी भाग के लिए बिना वेतन या आधे वेतन अथवा आधे औसत वेतन की छुट्टी पर है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने का चयन किया है तो संदेय अभिदाय की रकम ड्यूटी पर बिताये गए दिनों की संख्या के, जिसमें ऊपर निर्दिष्ट प्रकार की छुट्टी से भिन्न छुट्टी, यदि कोई हो, सम्मिलित है, अनुपात में होगी।

9. अभिदायों की वसूली—(1) जब निधि में से उपलब्धियां ली जाएं तब उन उपलब्धियों मद्दे अभिदायों की तथा लिए गए अग्रिम की मूल रकम और उनके ब्याज की वसूली ऐसी उपलब्धियों में से की जाएगी।

(2) जब उपलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जायें तब अभिदाता अपनी देय रकमें प्रतिमास मुख्य लेखा अधिकारी को भेजेगा।

10. बोर्ड द्वारा अंशदान—(1) बोर्ड प्रतिवर्ष 31 मार्च से प्रत्येक अभिदाता के खाते में अंशदान करेगा :

परन्तु यदि कोई अभिदाता वर्ष के दौरान सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अंशदान पूर्वगामी वर्ष की समाप्ति और यथास्थिति, सेवा छोड़ने या मृत्यु हो जाने के बीच की अवधि के लिए उसके खाते में जमा किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि किसी किसी अवधि के लिए, जिसके लिए अभिदाता को नियमों के अधीन निधि में अभिदाय न करने की अनुज्ञा मिल गई है, या वह निधि में अभिदाय नहीं करता है, कोई अंशदान संदेय नहीं होगा ।

(2) अंशदान, यथास्थिति उस वर्ष या अवधि के दौरान ड्यूटी पर ली गई अभिदाता की उपलब्धियों का ऐसा प्रतिशत होगा जो अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के अधीन साधारण या विशेष आदेश द्वारा विहित किया गया है या किया जाए:

परन्तु यदि अभिदत्त रकम मूल से या अन्यथा, नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन अभिदाता द्वारा संदेय न्यूनतम अभिदाय से कम है और जितना अभिदाय कम रहा गया है वह और उस पर प्रोदभूत ब्याज अभिदाता द्वारा ऐसे समय के भीतर नहीं दे दिया जाता जो ऐसा उधार, जिसे देने के लिए नियम 12 के उपनियम (3) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित हैं, मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए तो, बोर्ड द्वारा संदेय अंशदान अभिदाता द्वारा वस्तुतः दी गई रकम अथवा बोर्ड द्वारा सामान्यतः संदेय रकम के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगा, जब तक कि बोर्ड किसी विशेष मामले में अन्यथा निदेश न दे।

(3) यदि कोई अभिदाता छुट्टी के दौरान अभिदाय करने का चयन करता है तो उसकी छुट्टी का वेतन इस नियम के प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर ली गई उपलब्धियां समझा जाएगा।

(4) यदि कोई अभिदाता निलम्बन की किसी अवधि की बाबत अभिदायों के बकायों को देने का चयन करता है तो उपलब्धियों या उपलब्धियों का वह भाग, जो पुनःस्थापन पर उस अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाए, इस नियम के प्रयोजन के लिए, ड्यूटी पर ली गई उपलब्धियां समझा जाएगा।

(5) संदेय अंशदान की रकम निकटतम पूरे-पूरे रुपये में (पचास पैसे को अगला रुपया गिना जाएगा) कर ली जाएगी।

11. ब्याज—(1) बोर्ड निधि में किसी अभिदाता के नाम जमा रकम पर उसके खाते में ब्याज ऐसी दर से जमा करेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, सरकारी सेवकों के लिए रखे गए साधारण भविष्य निधि के अभिदायों पर ब्याज का संदाय करने के लिए समय समय पर विहित करे।

(2) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान निधि में हुए संचयों में से किए गए विनिधानों पर वस्तुतः वसूल की गई ब्याज की कुल रकम और उसी वर्ष की बाबत सभी अभिदाताओं को दी गई ब्याज की कुल रकम के बीच कोई अन्तर है तो बोर्ड उसका अभिदाय करेगा।

(3) ब्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च से निम्नलिखित रीति से जमा किया जाएगा :

(i) पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता के नाम जमा रकम में से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकमों को घटाकर बची शेष रकम पर बारह मास का ब्याज :

(ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकमों पर—चालू वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर उस मास के, जिसमें रकम निकाली गई थी, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक का ब्याज;

(iii) पूर्वगामी वर्ष के 31 मार्च के पश्चात अभिदाता के खाते में जमा सभी रकमों पर जमा की तारीख से लेकर चालू वर्ष की 31 मार्च तक का ब्याज;

(iv) ब्याज की कुल रकम निकटतम पूरे पूरे रुपये में (पचास पैसे को अगला रुपया गिना जाएगा) कर ली जाएगी ।

परन्तु जब किसी अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो गई हो तब इस पर ब्याज इस उपनियम के अधीन, यथास्थिति चालू वर्ष के आरम्भ से लेकर या जमा की तारीख से लेकर उस तारीख तक की अवधि के लिए ही जमा किया जाएगा जिसको अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय होती है।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जमा की तारीख उस मास का प्रथम दिन समझी जाएगी जो उस मास के ठीक बाद आता है जिस में अभिदाता की उपलब्धियां ली जाती हैं या वितरित की जाती हैं;

परन्तु यदि किसी अभिदाता की उपलब्धियां उस मास की जिससे उनका संबंध है, अंतिम तारीख की समाप्ति के पूर्व नहीं ली गई हैं और परिणामतः निधि मद्दे उनके अभिदाय की वसूली में विलम्ब हुआ है तो ऐसे अभिदाय पर ब्याज उस मास से संदेय होगा जिसमें

अभिदाता का वेतन या छुट्टी का वेतन देय हो गया था भले ही वह किसी भी मास में लिया गया हो।

(5) ब्याज उस मास के, जिसमें संदाय किया जाता है, ठीक पूर्वगामी मास की समाप्ति तक, अथवा उस मास के पश्चात् जिसमें वह रकम संदेय हो गई थी, छठे मास की समाप्ति तक इनमें से जो भी अवधि कम हो, के लिए उस व्यक्ति को संदेय होगा जिसे ऐसी रकम संदत्त की जानी है :

परन्तु कोई भी ब्याज उस तारीख के बाद की, जिसे सचिव ने उस व्यक्ति को ऐसी तारीख के रूप में सूचित किया है, जिस तारीख को वह नकद संदाय करने के लिए तैयार है, अथवा यदि वह चैक से संदाय करता है तो उस तारीख के बाद की, जिसको उस व्यक्ति के नाम का चैक डाक द्वारा भेजा जाता है, किसी अवधि के लिए जमा नहीं किया जाएगा ।

(6) निधि में के अतिशेषों पर किसी अभिदाता को शोध्य कोई रकम संदेय हो जाने के बाद छह मास की अवधि से परे एक वर्ष की अवधि तक के ब्याज का संदाय सचिव द्वारा, उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि संदाय में विलम्ब ऐसी परिस्थितियों में हुआ था जो अभिदाता के वश के बाहर थीं, प्राधिकृत किया जा सकेगा और ऐसी हर दशा में जो प्रशासनिक विलम्ब उस मामले में होगा उसके संबंध में पूरी जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो कार्रवाई की जाएगी ।

(7) यदि अभिदाता सचिव को यह सूचना देता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता है तो ऐसा ब्याज उसके खाते में जमा नहीं किया जाएगा, किन्तु यदि वह बाद में ब्याज की मांग करता है तो उसे उस वर्ष की, जिसमें वह मांग करता है, 1 अप्रैल से जमा किया जाएगा ।

(8) ऐसी रकमों पर ब्याज, जो नियम 17 या नियम 18 के अधीन निधि में अभिदाता के नाम फिर से जमा कर दी जाती हैं, ऐसी दरों से, जो इस नियम के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट हैं और जहां तक संभव होगा इस नियम में विहित रीति से, संगणित किया जायगा ।

12. निधियों में से अग्रिम:—(1) सचिव, किसी अभिदाता को ऐसा उधार दिए जाने की, जो पूरे-पूरे रुपयों में से और उसके तीन मास के वेतन की रकम से, अथवा निधि में उसके नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की आधी रकम से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक न हो, निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, मंजूरी दे सकेगा, अर्थात्:—

(क) अभिदाता अथवा उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या निःशक्तता के संबंध में व्यय (जिनके अन्तर्गत, जहां कहीं आवश्यक हो वहां, यात्रा व्यय भी है) का संदाय करने के लिए;

(ख) अभिदाता या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति की उच्च शिक्षा के व्ययों की (जिनके अन्तर्गत, जहां कहीं आवश्यक हो वहां, यात्रा व्यय भी है) निम्नलिखित मामलों में पूर्ति के लिए, अर्थात् :—

(1) हाई स्कूल स्तर के पश्चात्, शैक्षिक, तकनीकी, वृत्तिक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारत से बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए;

(2) हाई स्कूल स्तर के पश्चात्, भारत में चिकित्सा संबंधी, इंजीनियरी अथवा अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए;

परन्तु वह तब जब कि पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम के लिए न हो :

(ग) प्रास्थिति के उपयुक्त मापमान पर ऐसे आवश्यकर व्ययों का संदाय करने के लिए, जो अभिदाता को रूढ़िक प्रथा के अनुसार विवाह, अन्त्येष्टि अथवा अन्य अनुष्ठानों के संबंध में करने पड़ें ;

(घ) अभिदाता द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों का पालन करने में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध लगाए गए किन्हीं आरोपों के संबंध में अपनी स्थिति को न्यायसंगत ठहराने की दृष्टि से अभिदाता द्वारा संस्थित विधि कार्यवाहियों के व्यय की पूर्ति के लिए, ऐसी दशा में अग्रिम किसी अन्य बोर्ड स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय किसी अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा :

परन्तु इस खण्ड के अधीन अग्रिम ऐसे अभिदाता को अनुज्ञेय नहीं होगा जो अपने शासकीय कर्तव्यों से असम्बद्ध किसी मामले में या बोर्ड द्वारा उस पर अधिरोपित किसी सेवा की शर्त या शास्ति के संबंध में बोर्ड के विरुद्ध किसी मामले में किसी न्यायालय में विधिक कार्यवाहियां संस्थित करता है;

(ङ) जहां अभिदाता को बोर्ड द्वारा किसी न्यायालय में अभियोजित किया जाए, या जहां अभिदाता अपने किसी अभिकथित शासकीय अवचार की बाबत किसी जांच में अपने बचाव के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियोजित करता है वहां, अपनी प्रतिरक्षा के व्यय की पूर्ति के लिए ।

(2) अध्यक्ष किसी भी अभिदाता को, किसी अग्रिम के संदाय की मंजूरी विशेष परिस्थितियों में दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि संबंधित अभिदाता की उप-नियम (1) में वर्णित कारणों से भिन्न किसी कारण से अग्रिम की आवश्यकता है ।

(3) अग्रिम, उप-नियम (1) में दी गई सीमा के आधिक्य में, अथवा उस समय तक, जब तक कि किसी पूर्वतन अग्रिम की, उस पर ब्याज सहित, अन्तिम किश्त वापस न कर दी जाए, सिवाय विशेष कारणों के, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, मंजूर नहीं किया जायगा :

परन्तु अग्रिम निधि में अभिदाता के नाम तथा अभिदायों तथा उन पर ब्याज की रकम से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस नियम के प्रयोजन के लिए, वेतन में, जहां अनुज्ञेय हो वहां, महंगाई वेतन भी शामिल है ।

स्पष्टीकरण 2—अभिदाता को उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रत्येक छह मास में एक बार अग्रिम लेने की अनुज्ञा रहेगी ।

13. अग्रिम की वसूली :—(1) (क) अग्रिम अभिदाता से उतनी समान मासिक किश्तों में वसूल किया जायेगा जितनी का निदेश सचिव दे । किन्तु ये किश्तें बारह से कम, यदि अभिदाता वैसा करता है तो, और चौबीस से अधिक, नहीं होंगी ।

(ख) ऐसे विशेष मामलों में, जहां कि अग्रिम की रकम नियम 12 के उप-नियम (3) के अधीन अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक हो जाए वहां सचिव किश्तों की संख्या चौबीस से अधिक नियत कर सकता है किन्तु किसी भी दशा में किश्तों की संख्या छत्तीस से अधिक नहीं होगी ।

(ग) अभिदाता इन नियमों द्वारा विहित किश्तों से कम किश्तों में भी, अगले विकल्प पर, अग्रिम वापस कर सकता है ।

(घ) प्रत्येक किश्त पूरे-पूरे रुपयों में होगी और यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार की किश्तों को नियत करने के लिए अग्रिम की रकम को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ।

(2) (क) अग्रिम की वसूली, अभिदाता की वसूली संबंधी नियम 9 में उपबन्धित रीति से की जाएगी और जिस मास में अग्रिम लिया गया है उससे ठीक अगले मास का वेतन दिए जाने के साथ-साथ आरम्भ हो जाएगा ।

(ख) अग्रिम की वसूली, अभिदाता की सहमति के बिना, उस दशा में नहीं की जाएगी जब कि उसे जीवन निर्वाह अनुदान मिल रहा हो अथवा वह किसी कलेंडर मास में दस दिन या उससे अधिक के लिए छुट्टी पर हो और छुट्टी की उस अवधि के लिए उसे या तो कोई छुट्टी वेतन न मिल रहा हो या, यथा-स्थिति, आधे औसत वेतन के बराबर या उससे कम छुट्टी वेतन मिल रहा हो ।

(ग) सचिव, अभिदाता के लिखित अनुरोध पर, ऐसी किसी अवधि के दौरान, जब उसे मंजूर किए गए किसी अग्रिम वेतन की वसूली की जा रही हो, किसी अग्रिम की वसूली को स्थगित कर सकता है ।

(3) यदि निधि में से किसी अभिदाता को एक से अधिक बार अग्रिम दिए गए हैं तो प्रत्येक अग्रिम, वसूली के प्रयोजन के लिए अलग-अलग अग्रिम माना जाएगा ।

(4) (क) अग्रिम का मूलधन पूरी तरह से वापस कर दिए जाने के पश्चात उस पर ब्याज मूलधन होने और उसी पूरी-पूरी अदायगी कर दिए जाने के बीच की अवधि के दौरान प्रत्येक मास अथवा उसके भाग के लिए मूलधन के 1/5 प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा ।

(ख) ब्याज साधारणतया मूलधन की पूरी-पूरी अदायगी के बाद वाले मास में एक ही किश्त में दिया जायेगा किन्तु यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि बीस मास से अधिक की है तो ब्याज अभिदाता की इच्छानुसार दो समान मासिक किश्तों में वसूल किया जा सकेगा और वसूली की पद्धति वही होगी जो उप-नियम (2) में दी गई है ।

(5) यदि किसी अभिदाता को कोई अग्रिम दिया गया है और उसने अग्रिम ले लिया है और तत्पश्चात् अग्रिम की, उसकी अदायगी से पहले, अनुज्ञात कर दिया जाता है तो, लिया गया सारा अग्रिम अथवा उसका अतिशेष नियम II में निर्दिष्ट दर से ब्याज सहित तत्काल अभिदाता द्वारा निधि में वापस कर दिया जाएगा और यदि अभिदाता से ली गई रकम और ब्याज की अदायगी में कोई व्यतिक्रम करता है तो सचिव यह आदेश करेगा कि उसे अभिदाता की उपलब्धियों में से कटौती करके एक मुश्त अथवा बारह से अधिक की उतनी मासिक किश्तों में, जितनी सचिव द्वारा निर्दिष्ट की जाएं, वसूल कर लिया जायगा ।

(6) इस नियम के अधीन वसूल की गई रकमें, जब-जब उनकी वसूली की जाए, निधि में अभिदाता के खाते में जमा की जाएंगी ।

(7) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि मंजूर करने वाले प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि नियम 12 के अधीन निधि में से अग्रिम के रूप में लिए गए धन को उस प्रयोजन से, जिसके लिए धन निकालने की मंजूरी दी गई थी, भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया गया है तो संबंधित रकम तुरन्त निधि में अभिदाता द्वारा वापस की जाएगी और ऐसा करने में व्यतिक्रम होने पर यह आदेश दिए जाएंगे कि उन्हें अभिदाता की उपलब्धियों में से, भले ही वह छुट्टी पर हो, एक मुश्त कटौती करके वसूल किया जाए :

परन्तु यदि वापस की जाने वाली कुल रकम अभिदाता की मासिक उपलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूली उसकी उपलब्धियों के अर्द्ध भाग की मासिक किश्तों में तब तक की जाती रहेगी जब तक अभिदाता द्वारा पूरी रकम अदा न कर दी जाए ।

स्पष्टीकरण—इस नियम में, 'उपलब्धियों' के अन्तर्गत जीवन-निर्वाह अनुदान नहीं है ।

14. निधि में से धन की निकासी :—यहां विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, सचिव, अभिदाता की बीस वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के पश्चात्, जिसके अन्तर्गत सेवा भंग की अवधियां, यदि कोई हों, भी हैं, किसी भी समय, अथवा अधिवार्षिकी पर अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व दस वर्ष के भीतर, किसी भी समय, इनमें से जो पहले पड़े, निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए धन की निकासी की मंजूरी दे सकता है, अर्थात् :—

(क) अभिदाता के किसी बालक की, जो उस पर वस्तुतः आश्रित हो उच्च शिक्षा के व्ययों की (जिनके अन्तर्गत, जहां कहीं आवश्यक हो वहां, यात्रा व्यय भी है), निम्नलिखित मामलों में, पूर्ति के लिए, अर्थात् :—

(1) हाई स्कूल स्तर के पश्चात्, यौगिक तकनीकी अथवा विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए भारत से बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए;

(2) हाई स्कूल स्तर के पश्चात्, भारत में चिकित्सा संबंधी, इंजीनियरी, अथवा अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्य-क्रम के लिए :

परन्तु यह तब जब तक कि पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम के लिए न हो, ।

(ख) अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों के तथा उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य स्त्री नातेदार के विवाह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिए;

(ग) अभिदाता अथवा उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के संबंध में व्ययों की (जिनके अन्तर्गत जहां कहीं आवश्यक हो वहां, यात्रा व्यय भी है) पूर्ति के लिए;

(घ) अपने निवास के लिए कोई उपयुक्त मकान बनवाने या प्राप्त करने के लिए, जिसमें जमीन का दाम भी है, अथवा इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति रूप में लिए गए किसी ऋण मद्धे किसी बकाया रकम को वापस करने के लिए, अथवा किसी ऐसे मकान के, जिस पर अभिदाता का पहले से स्वामित्व है या जिसे उसने अर्जित किया है, पुनर्निर्माण के लिए या उसमें परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन करने के लिए;

(ङ) मकान के लिए जमीन खरीदने के लिए या इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ततः लिए गए किसी ऋण मद्धे बकाया रह गई किसी रकम को वापस करने के लिए;

(च) खण्ड (ङ) के अधीन निकाली गई रकम का उपयोग करके खरीदी गई जमीन पर मकान का निर्माण करने के लिए ;

(छ) अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व के छह मास के अन्दर कोई कृषि-भूमि अथवा कोई कारबार परिसर, अथवा दोनों, को प्राप्त करने के लिए ।

स्पष्टीकरण—ऐसा अभिदाता, जिसने गृह-निर्माण के प्रयोजनों के लिए अग्रिम दिए जाने की केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित किसी स्कीम के अधीन कोई अग्रिम लिया है, या जिसे किसी अन्य सरकारी स्रोत से इस निमित्त कोई सहायता अनुज्ञात की गई है, खण्ड (घ), (ङ) और (च) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, उन खण्डों के अधीन, तथा पूर्वोक्त स्कीम के अधीन लिए गए किसी ऋण को वापस करने के प्रयोजन के लिए भी, नियम 15 के उपनियम (1) के परन्तुकों में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए, अन्तिम निकासी की मंजूरी के लिए पात्र होगा ।

15. धन निकासी की शर्तें :—(1) (क) निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम में से उसके द्वारा, नियम 14 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए, किसी भी एक समय निकाली गई कोई रकम, निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम के आधे

से, अथवा छह मास के वेतन से, इनमें से जो भी कम हो, साधारणतया अधिक नहीं होगी।

(ख) सचिव, इस सीमा से अधिक, किन्तु निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम की तीन-चौथाई रकम तक धनराशि निम्नलिखित का सम्यक् विचार करते हुए, मंजूर कर सकेगा :—

(1) अभिदाता की प्रास्थिति,

(2) वह उद्देश्य, जिसके लिए धन निकाला जा रहा है,

(3) निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उन पर ब्याज की रकम :

परन्तु निकाली जाने वाली रकम किसी भी दशा में 1,25,000 रु० या मासिक वेतन के 75 गुना से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि ऐसे अभिदाता की दशा में, जिसने गृह निर्माण के प्रयोजनार्थ अग्रिम दिए जाने की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के अधीन कोई अग्रिम लिया है या जिसे किसी अन्य सरकारी स्रोत से इस निमित्त कोई सहायता अनुज्ञात की गई है, इस उप-नियम के अधीन निकाली गई रकम, पूर्वोक्त स्कीम के अधीन लिए गए अग्रिम की रकम अथवा किसी अन्य सरकारी स्रोत से ली गई सहायता की रकम सहित, 1,25,000 रुपये या मासिक वेतन के 75 गुना से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1—अभिदाता को नियम 14 के खण्ड (क) के अधीन छह मास में एक बार धन निकासी की अनुज्ञा रहेगी और ऐसी प्रत्येक निकासी को नियम 14 के प्रयोजनों के लिए अलग प्रयोजन के लिए निकासी माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—उन दशाओं में, जिनमें अभिदाता को खरीदी गई किसी जमीन या मकान के लिए अथवा किसी गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी अथवा वैसे ही किसी अभिकरण की मार्फत् निर्मित किसी मकान के लिए किश्तों में संदाय करना पड़ता है, उसे जब कभी उससे किसी किश्त के संदाय की अपेक्षा की जाए तब धन निकालने की अनुज्ञा रहेगी और ऐसा प्रत्येक संदाय नियम 14 के प्रयोजनों के लिए अलग प्रयोजन के लिए संदाय समझा जाएगा ।

(2) ऐसा अभिदाता, जिसे नियम 14 के अधीन निधि में से धन निकासी की अनुज्ञा दी गई है, युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो सचिव द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सचिव का यह समाधान करेगा कि जिस प्रयोजन के लिए धन निकाला गया था उसका उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो, इस प्रकार निकाला गया सारा धन या उसका वह भाग, जो उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए उसे निकाला गया था, उपयोग में नहीं लाया गया है, तुरन्त ही अभिदाता द्वारा नियम 11 में विनिर्दिष्ट दर से उस पर ब्याज सहित निधि में वापस कर दिया जाएगा, और यदि अभिदाता उस रकम को देने में व्यतिक्रम करता है तो सचिव यह आदेश देगा कि निकाली गई रकम और ब्याज एक मुश्त, अथवा ऐसी मासिक किश्तों में, जिनका सचिव निदेश दे, अभिदाता की उपलब्धियों में से कटौती करके वसूल किया जाए ।

(3)(क) यदि अभिदाता, जिसे निधि में उसके द्वारा जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम में से, नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (घ), या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन धन निकालने की अनुज्ञा दी गई है, इस प्रकार निकाले गए धन से बनाए गए या प्राप्त किए गए मकान या जमीन का कब्जा, विक्रय, (सचिव को किए गए बंधक से भिन्न) बन्धक, दान, विनिमय द्वारा या अन्य किसी प्रकार से, सचिव की अनुज्ञा के बिना, विलग नहीं करेगा :

परन्तु ऐसी अनुज्ञा निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी—

(1) तीन वर्षों से अनधिक की किसी अवधि के लिए पट्टे पर लिए गए किसी मकान या मकान की जमीन के लिए, अथवा

(2) किसी गृह बोर्ड अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा जीवन बीमा निगम, अथवा किसी ऐसे अन्य निगम के पक्ष में, जिस पर केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, और जो नया मकान बनवाने के लिए या विद्यमान मकान में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए ऋण देता है, बन्धक रखे जाने के लिए।

(ख) अभिदाता प्रतिवर्ष दिसम्बर के 31वें दिन के अनुपरांत एक ऐसी घोषणा प्रस्तुत करेगा कि, यथास्थिति, मकान या मकान की जमीन यथापूर्वोक्त उसके कब्जे में बनी हुई है, या उसे बन्धक रखा गया है, या अन्यथा अन्तरित किया गया है, या किराए पर दे दिया गया है और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो उस निमित्त सचिव द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व सचिव के समक्ष वह विक्रय, बन्धक या पट्टे के मूल विलेख और ऐसी दस्तावेजें भी पेश करेगा जिन पर सम्पत्ति के लिए उसका हक आधारित है ।

(ग) यदि अपनी सेवा निवृत्ति से पूर्व किसी भी समय, अभिदाता सचिव से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना मकान या जमीन का कब्जा विलग कर देता है तो वह निधि में से अपने द्वारा निकाली गई रकम तुरन्त निधि में एक मुश्त अदा करेगा और ऐसी अदायगी में व्यतिक्रम होने पर सचिव, उस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए अभिदाता को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उक्त रकम को अभिदाता की उपलब्धियों में से, या तो एकमुश्त या उतनी किस्तों में वसूल करवा लेगा जितनी सचिव द्वारा अवधारित की जाए।

स्पष्टीकरण—ऐसे अभिदाता से, जिसने सरकार से ऋण लिया है और उसके बदले मकान या जमीन सरकार को बंधक रख दी है, निम्नलिखित आशय की घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात्:—

"मैं यह प्रमाणित करता हूं कि वह मकान या जमीन, जिसके निर्माण के लिए या जिसे प्राप्त करने के लिए मैंने भविष्य निधि में से अंतिम निकासी प्राप्त की है, मेरे कब्जे में बनी हुई है किन्तु सरकार को बंधक है"।

16. किसी अग्रिम का निकासी में संपरिवर्तन :— (1) कोई भी अभिदाता, जिसने नियम 12 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए उक्त नियम के अधीन कोई अग्रिम लिया है या भविष्य में ले, सचिव को संबोधित अपने लिखित अनुरोध द्वारा, उस अग्रिम के संबंध में अपना बकाया अतिशेष अंतिम निकासी में संपरिवर्तित कर सकेगा यदि वह प्रयोजन, जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था, ऐसा प्रयोजन है जिसके लिए नियम 14 के अधीन निकासी की जा सकती है और अग्रिम नियम 14 और नियम 15 में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों की पूर्ति करता है।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, उस रकम की संगणना करने में, जिसे अभिदाता द्वारा निकालने की अनुज्ञा नियम 15 के उपनियम (1) के अधीन दी जा सकती है, संपरिवर्तन के समय खाते में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय की रकम, उस पर ब्याज सहित, तथा उधार की बकाया रकम का योग उसके खाते नाम जमा अभिदाय का अतिशेष और ब्याज समझा जाएगा और प्रत्येक निकासी को एक अलग निकासी माना जाएगा और एक से अधिक संपरिवर्तनों की दशा में यही सिद्धान्त लागू होगा।

17. निधि में के संचयों की अंतिम निकासी :—जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ देता है तब निधि में उसके नाम जमा रकम, नियम 20 के अधीन किसी कटौती के अधीन रहते हुए, उसे संदेय हो जाएगी :

परन्तु ऐसा अभिदाता, जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और बाद में उसे सेवा में पुनःस्थापित कर लिया जाता है, यदि बोर्ड उससे वैसा करने की अपेक्षा करे तो, इस नियम के अनुसार उसे दी गई कोई भी रकम, नियम 11 में विनिर्दिष्ट दर से उस पर ब्याज सहित, नियम 18 के परन्तुक में उपबंधित रीति से वापस कर देगा । इस प्रकार वापस दी गई रकम निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी, और वह भाग जो उसके अभिदायों और उन पर ब्याज का द्योतक है, और वह भाग जो बोर्ड के अंशदान का, उस पर ब्याज सहित, द्योतक है नियम 6 में उपबंधित रीति से लेखे में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1—ऐसे अभिदाता के बारे में, जिसे अस्वीकृत छुट्टी मंजूर की गई है यह समझा जाएगा कि उसने अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से या सेवा बढ़ाए जाने की अवधि की समाप्ति से सेवा छोड़ दी है ।

स्पष्टीकरण 2—ऐसे अभिदाता के बारे में, जो संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से भिन्न हो जिसे सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् सेवा में व्यवधान सहित या रहित, पुनःनियोजित कर लिया गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने सेवा छोड़ दी है यदि उसे सेवा में व्यवधान के बिना राज्य सरकार के अधीन किसी नए पद पर या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में (जहां उसे दूसरे भविष्य निधि नियम लागू होते हों) अपने पहले के पद के साथ कोई संबंध बनाए रखे बिना अन्तरित कर दिया जाता है । ऐसे किसी मामले में उसका अभिदाय तथा बोर्ड का अंशदान, उस पर ब्याज सहित,—

(क) किसी अन्य निधि में के उसके खाते में उस निधि के नियमों के अनुसार अन्तरित कर दिया जाएगा, यदि नया पद केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में हो; अथवा

(ख) संबंधित राज्य सरकार के अधीन किसी नए खाते में अन्तरित कर दिया जाएगा, यदि नया पद राज्य सरकार के अधीन हो और वह राज्य सरकार उसके अभिदायों, बोर्ड के अंशदान और ब्याज के ऐसे अन्तरण के लिए, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, सहमत हो ।

स्पष्टीकरण 3—अन्तरण के संबंध में यह समझा जाना चाहिए कि उसके अन्तर्गत सेवा से पद त्याग के ऐसे मामले भी हैं जब पदत्याग बिना किसी व्यवधान के और बोर्ड की समुचित अनुज्ञा से, केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार के अधीन कोई नियुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाए । ऐसी दशाओं में, जिनमें सेवा में कोई व्यवधान आया है, यह व्यवधान उस कार्यग्रहण अवधि तक ही सीमित रहना चाहिए जिसकी अनुज्ञा किसी विभिन्न स्टेशन को अन्तरण की दशा में रहती है । यही बात छंटनी के उन मामलों को भी लागू होगी, जिनमें छंटनी के तुरन्त बाद कोई नियोजन, उसी सरकार के अधीन अथवा किसी अन्य सरकार के अधीन, ले लिया जाता है ।

स्पष्टीकरण 4—(क) जब कोई अभिदाता, जो संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से भिन्न हो, जिसे सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् सेवा को पुनःनियोजित किया गया है, किसी अन्य नियमित निकाय के अधीन, जिस पर सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण हो, या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायतशासी संगठन के अधीन सेवा में बिना व्यवधान के अन्तरित कर दिया जाता है, तब अभिदायों की रकम और बोर्ड का अंशदान, उस पर ब्याज सहित, उसे संदत्त नहीं किया जाएगा, किन्तु उस निकाय की सहमति से, उस निकाय के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दिया जाएगा ।

(ख) अन्तरण के अन्तर्गत, सेवा से पद त्याग के ऐसे मामले भी हैं, जहां पद-त्याग बिना किसी व्यवधान के और बोर्ड की समुचित अनुज्ञा से, किसी ऐसे अन्य नियमित निकाय के अधीन, जिस पर सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण हो, अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायतशासी संगठन के अधीन नियुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाए । नए पद पर कार्यग्रहण करने में लगा हुआ समय उस दशा में सेवा में व्यवधान नहीं समझा जाएगा जब वह एक पद से किसी अन्य पद पर हुए अन्तरण पर सरकारी नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यग्रहण अवधि से अधिक न हो ।

18. अभिदाता की सेवा-निवृत्ति :—जब कोई अभिदाता—

(क) निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है; अथवा

(ख) छुट्टी पर रहते हुए सेवा निवृत्त होने के लिए अनुज्ञात कर दिया गया है, अथवा जिसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है,

तब निधि में उसके नाम जमा अभिदायों की रकम और उस पर ब्याज, सचिव को उस निमित्त उसके द्वारा किए गए आवेदन पर, अभिदाता को संदेय हो जाएगा :

परन्तु यदि अभिदाता छुट्टी से वापस आ जाता है तो वह, यदि सचिव वैसा करने की अपेक्षा करे तो, अपने खाते में जमा किए जाने के लिए, वह सारी रकम या उसका भाग, जो उसे इस नियम के अनुसार निधि में से दिया गया है, नियम 11 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित, नकद या प्रतिभूतियों में, अथवा अंशतः नकद और अंशतः प्रतिभूतियों में, किस्तों में अथवा उसकी उपलब्धियों में से अन्यथा वसूल करके या अन्य प्रकार से, जैसा भी सचिव निदेश दे, निधि में वापस करेगा ।

19. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया :— नियम 20 के अधीन किसी कटौती के अधीन रहते हुए, अभिदाता के नाम जमा रकम के संदेय हो जाने से पूर्व, अथवा यदि रकम संदेय हो गई है तो संदाय कर दिए जाने से पूर्व, उसकी मृत्यु हो जाने पर :—

(i) जब अभिदाता कोई कुटुम्ब छोड़ता है तब—

(क) यदि उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार अभिदाता द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन विद्यमान है तो निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग, जिससे नामनिर्देशन का संबंध है, उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जाएगा ;

(ख) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है, अथवा यदि ऐसे नामनिर्देशन का संबंध निधि में उसके नाम जमा रकम के किसी एक भाग से है तो, यथास्थिति, सारी रकम अथवा उसका वह भाग, जिससे नामनिर्देशन का संबंध है, उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में तात्पर्यित किसी नामनिर्देशन के होते हुए भी, उसके कुटुम्ब के सदस्यों में बराबर-बराबर अंशों में संदेय हो जाएगा :

परन्तु कोई भी अंश निम्नलिखित को संदेय नहीं होगा :—

(i) वे पुत्र, जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है,

(ii) मृतक पुत्र के पुत्र, जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है,

(iii) विवाहित पुत्रियां, जिनके पति जीवित हैं,

(iv) मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां, जिनके पति जीवित हैं,

यदि उसके कुटुम्ब का खण्ड (i), (ii) (iii), और (iv) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य विद्यमान हो:

परन्तु यह और कि मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और बालक या बालकगण अपने मध्य अकेला वही अंश, बराबर बराबर भागों में, प्राप्त करेंगे जो अंश उस पुत्र ने तब प्राप्त किया होता जब वह अभिदाता का उत्तरजीवी रहा हो और उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (i) के उपबंधों से छूट मिली होती।

टिप्पण : (i) किसी अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य को इन नियमों के अधीन संदेय कोई भी रकम भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस सदस्य में निहित हो जाएगी।

(ii) जब अभिदाता कोई भी कुटुम्ब नहीं छोड़ता है तब यदि नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में कोई नामनिर्देशन किया गया है तो, निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग, जिससे नामनिर्देशन का संबंध है, नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदेय हो जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—यदि नामनिर्देशिती भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित किसी अभिदाता पर आश्रित है तो रकम उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे नामनिर्देशिती में निहित हो जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—यदि अभिदाता कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ता है और नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन भी विद्यमान नहीं है, अथवा यदि ऐसे नामनिर्देशन का संबंध निधि में उसके नाम जमा रकम के केवल एक भाग से है तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के सुसंगत उपबन्ध सारी रकम को या उसके उस भाग को, जिससे नामनिर्देशन का संबंध नहीं है, लागू होंगे।

20. कटौतियां : इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसी कोई भी कटौती नहीं की जाएगी जिससे कि निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम के उस निधि में से संदाय किए जाने से पूर्व उसमें नियम 10 और नियम 11 के अधीन जमा बोर्ड के अंशदान और उस पर ब्याज की रकम से अधिक रकम निकल जाए, :—

(क) सचिव यह निर्देश दे सकेगा कि उसमें से कटौती करके बोर्ड को:—

(i) उन सभी रकमों का संदाय किया जाए जो ऐसे अंशदान और ब्याज की द्योतक हैं, यदि अभिदाता को अवचार, दिवाले या अक्षमता के कारण सेवा से पदच्युत किया गया है:

परन्तु यदि सचिव का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार की कटौती से अभिदाता को बहुत अधिक कष्ट होता तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी कटौती में से उस अभिदाय और ब्याज की रकम, जो अभिदाता को उस दशा में संदेय होगी जब वह चिकित्सीय कारणों से सेवानिवृत्त हुआ होता, दो तिहाई से अनधिक रकम तक की छूट दे सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि पदच्युति का ऐसा कोई आदेश बाद में रद्द कर दिया जाए तो इस प्रकार की काटी गई रकम, सेवा में उसके फिर से बहाल हो जाने पर, निधि में उसके नाम फिर से जमा कर दी जाएगी।

(ii) उन सभी रकमों का संदाय किया जाए, जो ऐसे अंशदान और ब्याज की द्योतक हैं, यदि अभिदाता, उस रूप में, अपनी सेवा के प्रारम्भ के पांच वर्ष के भीतर, सेवा से त्यागपत्र दे देता है या मृत्यु या अधिवर्षिता से अथवा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा इस घोषणा से कि वह आगे सेवा करने के अयोग्य है, अथवा पद उत्सादित कर दिए जाने अथवा स्थापन में कमी कर देने से भिन्न किसी कारण से बोर्ड के अधीन कर्मचारी नहीं रह जाता।

(ख) सचिव यह निदेश दे सकेगा कि उसमें से कटौती करके बोर्ड को उस रकम का संदाय किया जाए जो अभिदाता द्वारा बोर्ड के प्रति उपगत किसी दायित्व के अधीन देय हुई हो।

स्पष्टीकरण : इस नियम के खण्ड (क) के उपखंड (2) के प्रयोजन के लिए :—

(क) पांच वर्ष की अवधि बोर्ड के अधीन अभिदाता की निरन्तर सेवा के प्रारम्भ से गिनी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार के अधीन या किसी ऐसे नियमित निकाय के अधीन जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्तशासी संगठन के अधीन बिना व्यवधान के और बोर्ड की समुचित अनुज्ञा से नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा से दिया गया त्यागपत्र बोर्ड के अधीन किया गया त्यागपत्र नहीं माना जाएगा।

21. निधि में रकम का संदाय करने की रीति —(1) जब निधि में अभिदाता के नाम जमा कोई रकम अथवा नियम 20 के अधीन की गई कटौती के बाद बचा उसका अतिशेष संदेय हो जाए तब सचिव अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि जब उस नियम के अधीन ऐसी कोई कटौती करने का निदेश न दिया गया हो तब कोई भी कटौती नहीं की जानी है, यह कर्तव्य होगा कि वह उपनियम (3) में यथाउपबन्धित इस निमित्त लिखित आवेदन के प्राप्त होने पर संदाय करे।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन कोई रकम दी जाती है ऐसा पागल है जिसकी सम्पदा के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 (1912 का 4) के अधीन इस निमित्त कोई प्रबन्धक नियुक्त किया गया है तो संदाय ऐसे प्रबन्धक को ही किया जाएगा, न कि पागल को:

परन्तु यदि कोई प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है और जिस व्यक्ति को रकम संदेय है उसे किसी मजिस्ट्रेट ने पागल प्रमाणित किया है तो कलक्टर के आदेशों के अधीन संदाय भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 (1912 का 4) की धारा 95 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके भारसाधन में ऐसा पागल है, और सचिव पागल के भारसाधक व्यक्ति को उतनी ही रकम का संदाय करेगा जितनी वह ठीक समझे और यदि कोई अधिशेष रह जाएगा तो ऐसा अतिशेष अथवा उसका ऐसा भाग जिसे वह ठीक समझे पागल के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए दिया जाएगा जो भरण पोषण के निमित्त उस पर आश्रित हैं।

3(क) कोई व्यक्ति जो इस नियम के अधीन संदाय का दावा करना चाहता है उस निमित्त सचिव को लिखित आवेदन करेगा;

(ख) निकाली गई रकमों का संदाय केवल भारत में ही किया जाएगा;

(ग) जिन व्यक्तियों को रकमें संदेय हैं, वे भारत में संदाय प्राप्त करने के अपने प्रबंध स्वयं करेंगे।

स्पष्टीकरण : जब किसी अभिदाता के नाम जमा रकम नियम 17 18 या 19 के अधीन संदेय हो गई हो तब सचिव अभिदाता के नाम जमा रकम के उस भाग का तत्काल संदाय करने के लिए प्राधिकृत करेगा जिसके संबंध में कोई विवाद या शंका नहीं है और अतिशेष उसके पश्चात् यथासंभव शीघ्र, समायोजित किया जाएगा।

22 अभिदाय के संदाय के समय खाते की संख्या का बताया जाना :—उपलब्धियों में से कटौती करके या नकद अभिदाय देते समय अभिदाता-निधि

में अपने खाते की वह संख्या बताएगा जो सचिव द्वारा उसे संसूचित की जाएगी और उस संख्या में कोई भी परिवर्तन उसी प्रकार सचिव द्वारा अभिदाता को संसूचित किया जाएगा।

23. अभिदाता को लेखे का वार्षिक विवरण दिया जाना :—

(1) (क) प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, मुख्य लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता की निधि में उसके लेखे का एक विवरण, जिसमें उस वर्ष की पहली अप्रैल को उसका आरम्भिक अतिशेष, वर्ष के दौरान जमा की गई या निकाली गई कुल रकम, उस वर्ष की 31 मार्च को जमा किए गए ब्याज की कुल रकम और उस तारीख को अन्तिम अतिशेष दिखाया जाएगा।

(ख) मुख्य लेखा अधिकारी लेखा विवरण में जांच करने पर यह संलग्न करेगा कि अभिदाता :—

(i) नियम 5 के अधीन किए गए किसी नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है या नहीं ;

(ii) ऐसे किसी मामले में जहां उसने नियम 5 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नहीं किया है, उसे कोई कुटुम्ब प्राप्त हुआ है या नहीं।

(2) अभिदाता वार्षिक विवरण के शुद्ध होने के बारे में अपना समाधान करेगा और उस विवरण की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर मुख्य लेखा अधिकारी के ध्यान में गलतियां लाई जाएंगी।

(3) मुख्य लेखा अधिकारी यदि अभिदाता द्वारा अपेक्षा की जाए तो, वर्ष में एक बार, किन्तु एक बार से अधिक नहीं, अभिदाता को उस कुल रकम की जानकारी देगा जो उस अन्तिम मास की, जिसके लिए उसका लेखा लिखा जा चुका है समाप्ति पर निधि में उसके नाम जमा है।

24. आवेदन का सचिव को सम्बोधित किया जाना :—इन नियमों के अधीन सभी आवेदन सचिव को सम्बोधित किए जाएंगे।

25. व्यष्टिक मामलों में नियमों के उपबन्धों का शिथिल किया जाना :—जब बोर्ड का यह समाधान हो गया हो कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी अभिदाता को असम्यक कष्ट हो रहा है या होना संभाव्य है तो बोर्ड इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी उस अभिदाता के मामले में ऐसी रीति से कार्रवाई कर सकेगा जो उसे न्यायोचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो।

26. निर्वचन :—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसे विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और वह उस पर अपना विनिश्चय देगी।

प्रथम अनुसूची

[नियम 5(3) देखिए]

नाम निर्देशन के प्रपत्र

1. जब अभिदाता का कुटुम्ब हो और वह उसके एक सदस्य का नाम निर्देशन करना चाहता हो

मैं, निधि में अपने नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व अथवा ऐसी दशा में, जब वह संदेय हो चुकी हो किन्तु दी न गई हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर, उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति का, जो तेल उद्योग विकास निधि बोर्ड (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1978 के नियम 2 में यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब का सदस्य है, नामनिर्देशन करता हूं।

नाम निदेशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के, यदि कोई हों नाम, पते और नातेदारी जिन्हें नाम निर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रमित हो जाएगा जब उनकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए

तारीख 197 के का दिन

स्थान :

हस्ताक्षर करने वाले दो साक्षी अभिदाता के हस्ताक्षर

1. 2.

2. जब अभिदाता का कोई कुटुम्ब हो और वह उसके एक से अधिक सदस्यों का नामनिर्देशन करना चाहता हो

मैं, निधि में अपने नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व अथवा ऐसी दशा में जब वह संदेय हो चुकी हो किन्तु दी न गई हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे अंकित व्यक्तियों को, जो तेल उद्योग विकास निधि बोर्ड (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि)

नियम, 1978 के नियम 2 में यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब के सदस्य हैं, नाम निर्देशन करता हूं और यह निदेश देता हूं कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों के बीच, नीचे उनके नामों के सामने दी गई रीति से, वितरित की जाएगी :—

नाम निर्देशिती का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	संचयों में अंश की रकम जो प्रत्येक को दी जानी है	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नाम निर्देशन अधिदिमान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के, यदि कोई हों, नाम, पते और नातेदारी जिन्हें नाम निर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रमित हो जाएगा जब उनकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए

तारीख 197 के का दिन

स्थान :

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले दो साक्षी

1.

2.

3. जब अभिदाता का कोई कुटुम्ब न हो और वह एक व्यक्ति का नाम निर्देशन करना चाहता हो

मैं, जिसका तेल उद्योग विकास निधि बोर्ड (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1978 के नियम 2 में यथापरिभाषित कोई कुटुम्ब नहीं है, निधि में अपने नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व) अथवा ऐसी दशा में जब वह संदेय हो चुकी है किन्तु दी न गई हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर, उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्ति का नाम निर्देशन करता हूं :

नाम निर्देशित का नाम और पता	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नामनिर्देशन अधिदिमान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्तियों के, यदि कोई हो, नाम, पते और नातेदारी, जिन्हें नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रमित हो जाएगा जब उनकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए।

तारीख 197 के का दिन

स्थान :

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले दो साक्षी

1.

2.

4. जब अभिदाता का कोई कुटुम्ब न हो और वह एक से अधिक व्यक्ति का नाम निर्देशन करना चाहता हो

मैं, जिसका तेल उद्योग विकास निधि बोर्ड (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि) नियम 1978 के नियम 2 में यथापरिभाषित कोई कुटुम्ब नहीं है,, निधि में अपने नाम, जमा रकम के संदेय होने से पूर्व अथवा ऐसी दशा में जब वह संदेय हो चुकी हो किन्तु दी न गई हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर

उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्तियों का नाम निर्देशन करता हूं और यह निदेश देता हूं कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों के बीच, नीचे उनके नामों के सामने दी गई रीति से, वितरित की जाएगी :

नाम निर्देशिती का नाम	अभिदाता के साथ नातेदारी	आयु	संचयों में अंश की रकम जो प्रत्येक को दी जानी है	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के यदि कोई हो, नाम, पते और नातेदारी जिन्हें नाम निर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रमित हो जाएगा जब उनकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए।

तारीख 197 के का दिन

स्थान :

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने वाले दो साक्षी

1.

2.

[फा० सं० 7 (13)/78-पी० एफ० डी०]

एस० एल० खोसला संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 28th October, 1978

NOTIFICATION

G.S.R. .—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (41 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Oil Industry Development Board (Employees' Contributory Provident Fund) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Oil Industry Development Board constituted under section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974);

(b) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(c) "Chief Accounts Officer" means the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Oil Industry Development Board;

(d) "Child" means a legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber;

(e) "emoluments" means pay, leave salary or a subsistence grant, if any, in the manner determined by the Board from time to time and includes dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, if admissible;

(f) "employee" means a person directly recruited by the Board or a person absorbed as an employee of the Board, without break, after resignation from service under Central Government, in public interest;

(g) "family" means.—(i) in the case of a male subscriber, the wife or wives and children of the subscriber and the widow or widows and children of any deceased son of the subscriber :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has otherwise ceased, under the customary law of the community to which she belongs, to be entitled to maintenance from him, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently intimates by notice in writing to the Secretary that she shall continue to be so regarded;

(ii) in the case of a female subscriber the husband and children of the subscriber, and the widow or widows and children of any deceased son of the subscriber :

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Secretary expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing;

(h) "Fund" means the Oil Industry Development Board Employees' Contributory Provident Fund;

(i) "leave" means any kind of leave recognised by the Board;

(j) "Secretary" means the Secretary to the Board;

(k) "subscriber" means a member to the Fund;

(l) "year" means a financial year;

(m) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) shall have the meanings respectively assigned to them in that Act ;

(n) words and expressions used herein and not defined whether in these rules or in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) shall have the meanings respectively assigned to them in the Fundamental Rules.

3. Constitution of the Fund.—(1) The Fund shall be maintained in rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited, and shall be shown in the books of the Board to be so credited, in a Saving Bank Account with the Post Office or with any of the nationalised banks and named "The Oil Industry Development Board Employees' Contributory Provident

Fund Account" to be operated by the Chief Accounts Officer for the Trustees comprising of the following, namely :—

(i) the Secretary, Oil Industry Development Board ex-officio;

(ii) the Chief Accounts Officer Oil Industry Development Board ex-officio; and

(iii) a representative of the directly recruited staff to be nominated by the Chairman, at his discretion.

(3) a representative so nominated under clause (iii) of sub-rule (2) shall act as Trustee for a period not exceeding one year from the date of nomination as specified by the Chairman.

(4) accretions to the Fund, not immediately required for meeting obligatory payments from the Fund, shall be invested in such Government securities, Government guaranteed securities, Small Savings instruments or deposit schemes or in such other manner as may be specified by the Central Government.

4. Conditions of eligibility.—(1) These rules shall apply to every employee who has completed one year of continuous service in the Secretariat of the Board from the beginning of the month following that in which he completed continuous service of one year.

(2) If an employee admitted to the benefits of the Fund was, at any time prior to his being so admitted to the benefits of the Fund, a subscriber to a Government or semi-Government contributory provident fund, the amounts lying to his credit in the said contributory provident fund (including contributions of his previous employers if any, in relation to him in such provident fund) together with interest thereon, shall be transferred to his credit in the Fund and in such cases the employee shall for all purposes cease to be employee of the previous employer.

5. Nomination.—(1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund send to the Secretary a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death before that amount has become payable, or having become payable, has not been paid :

Provided that if, at the time of making the nomination, the subscriber has a family the nomination shall not be in favour of any person or persons other than a member or members of his family :

Provided further that, where the amount lying to the credit of a subscriber in any other provident fund has been transferred to the Fund, the nomination made by him in respect of such provident fund shall be deemed to be a fresh nomination duly made under this rule until he or she makes a nomination in accordance with this rule.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1),he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be in such one of the Forms set forth in the First Schedule as is appropriate in the circumstances.

(4) A subscriber may, at any time, cancel a nomination by sending a notice in writing to the Secretary and where a subscriber so cancels a nomination, shall, along with such notice or separately send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this rule.

(5) A subscriber may provide in a nomination,—

(a) in respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination :

Provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members of his family and that where the subscriber confers, such a right on more than one person under this clause, he shall specify, the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit at any time;

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein;

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has no family, he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family:

Provided further that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring any other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whose death, no provision as provided in clause (a) of sub-rule (5) has been made in the nomination or on the occurence of any event by reason of which the nomination becomes invalid by virtue of any provision made in pursuance of clause (b) of that sub-rule, the subscriber shall send to the Secretary a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordace with the provisions of this rule.

(7) Every nomination made and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Secretary.

6. Subscriber's Accounts.—An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown :—

(i) his subscriptions;

(ii) contributions made under rule 10 by the Board to the account;

(iii) interest, as provided by rule 11, on subscriptions;

(iv) interest, as provided by rule 11, on contributions, advances and withdrawals from the Fund.

7. Conditions of Subscriptions.—(1) Every subscriber shall subscribe monthly to the Fund when on duty but not during a period of suspension :

Provided that a subscriber on reinstatement after a period of suspension shall be allowed the option of paying in one lump sum, or in instalments, any sum not exceeding the maximum account of arrears of subscriptions permissible for that period.

(2) A subscriber may at his option not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay.

(3) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during the leave referred to in sub-rule (2), in the following manner namely :—

(a) if he is an officer who draws his own pay bills by making no deduction on account of subscriptions in his first pay bill drawn after proceeding on leave;

(b) if he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the Chief of Accounts Officer before he proceeds on leave.

Note :—(i) Failure to give due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

(ii) The option of a subscriber intimated under this sub-rule shall be final.

(4) A subscriber who has, under rule 18, withdrawn the amount of subsiriptions and interest thereon, shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

8. Rate of Subscriptions.—(1) The amount of subscriptions shall be fixed by the subscriber himself subject to the following conditions, namely :

(a) it shall be expressed in whole rupees;

(b) it may be any sum, so expressed, not less than 8-1/3 per cent of his emoluments and not more than his emoluments.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the emoluments of a subscriber shall be :—

(a) in the case of a subscribed who was in service of the Board on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date :

Provided that :—

(i) if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;

(ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India ;

(iii) if the subscriber joined the Fund for the first time on a day subsequent to the said date, his emoluments shall be emoluments to which he was entitled on such subsequent date ;

(b) In the case of a subscriber who was not in service of the Board on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the first day of service or if he joined the Fund for the first time on a date subsequent to the first day of his service the emoluments to which he was entitled on such subsequent date :

Provided that, if the emoluments of the subscriber are of a fluctuating nature, they shall be calculated in such manner as the Secretary may direct.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of monthly subscription in each year in the following manner :—

(a) if he was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf from his pay bill for that month;

(b) if he was on leave on the 31st March of the preceding year and elected not to subscribe during such leave, or was under suspension on that date, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf from his first pay bill after his return to duty ;

(c) if he has entered service of the Board for the first time during the year, by the deduction which he makes or causes to be made in this behalf, from his pay bill for the month during which he joins the Fund ;

(d) if he was on leave on the 31st March of the preceding year and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, or if he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his salary bill for that month ;

(e) if his emoluments are of the nature referred to in the proviso to sub-rule (2) in such manner as the Secretary may direct.

(4) The amount of subscription so fixed may be enhanced or reduced once at any time during the course of a year :

Provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum prescribed by sub-rule (1) :

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than leave of the nature referred to above.

9. Realisation of Subscriptions : (1) When emolumnts are drawn from the Fund, recoveries of subscriptions on account of these emoluments and of the principal and interest of advances shall be made from such emoluments.

(2) When emoluments are drawn from any other source the subscriber shall forward his dues monthly to the Chief Accounts Officer.

10. Contribution by the Board : (1) The Board shall with effect from the 31st March of each year, make a contribution to the account of each subscriber :

Provided that if a subscriber quits the service or dies during a year, contributions shall be credited to his account for the period between the close of the preceding year and the date of quitting of service or death, as the case may be :

Provided further that no contribution shall be payable in respect of any period for which the subscriber is permitted under the rules not to subscribe, or the subscriber does not subscribe, to the Fund.

(2) The contribution shall be such percentage of the subscriber's emoluments drawn on duty during the year or period as the case may be, as has been or may be prescribed by general or special order under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 :

Provided that, if, through oversight or otherwise the amount subscribed is less than the minimum subscription payable by the subscriber under sub-rule (1) of rule 8 and if the short subscription together with the interest accrued thereon is not paid by the subscriber within such time as may be specified by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-rule (3) of rule 12, the contribution payable by the Board shall be equal to the amount actually paid by the subscriber or the amount normally payable by the Board, whichever is less, unless the Board in any particular case otherwise directs.

(3) Where a subscriber elects to subscribe during leave, his leave salary shall, for the purposes of this rule, be deemed to be emoluments drawn on duty.

(4) Where a subscriber elects to pay arrears of subscriptions in respect of a period of suspension, the emoluments or portion of emoluments which may be allowed for that period on reinstatement shall, for the purpose of this rule, be deemed to be emoluments drawn on duty.

(5) The amount of contribution payable shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty palse counting as the next higher rupee).

(11) Interest : (1) The Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest, at such rate as the Central Government may from time to time prescribe for the payment of interest on subscriptions to the General Provident Fund maintained for Government servants, on the amount at his credit in the Fund.

(2) The Board shall contribute the difference, if any, between the total amount of interest actually realised on investments made from the accumulations made in the Fund during the financial year and the total amount of interest payment to all subscribers in respect of the same year.

(3) Interest shall be credited with effect from the 31st March of each year in the following manner :—

(i) on the amount to the credit of a subscriber on 31st March of the preceding year less any sums withdrawn during the current year-interest for twelve months ;

(ii) on sums withdrawn during the current year-interest from the 1st April of the current year upto the last day of month preceding the month of withdrawal ;

(iii) on all sums credited to the subscriber's account after the 31st March of the preceding year-interest

from the date of deposit upto the 31st March of the current year;

(iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise counting as the next higher rupee) :

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this sub-rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber becomes payable.

(4) For the purposes of this rule, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month succeeding the month in which the emoluments of a subscriber are drawn or disbursed :

Provided that where the emoluments of a subscriber are not drawn before the expiry of the last day of the month to which it relates and consequently there has been delay in the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscription shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due irrespective of the month in which it was actually drawn.

(5) The interest shall be payable upto the end of the month preceding that in which payment is made, or upto the end of the sixth month after the month in which such amount became payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid :

Provided that no interest shall be paid in respect of any period after the date which the Secretary has intimated to that person (or his agent) as the date, on which he is prepared to make payment in cash or if he pays by cheque after the date on which the cheque in that person's favour is sent by post.

(6) Payment of interest on the Fund balances beyond a period of six months, after the amount due to a subscriber became payable, upto a period of one year may be authorised by the Secretary after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscriber and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any required, taken.

(7) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Secretary that he does not wish to receive it, but if he subsequently asks for interest it shall be credited with effect from the 1st April of the year in which he asks for it.

(8) The interest on accounts which under rule 17 or rule 18 are replaced at the credit of the subscriber, in the Fund shall be calculated at such rates as is specified in sub-rule (1) and, as far as may be, in the manner prescribed in this rule.

12. Advances from the Funds : (1) The Secretary may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months' pay or half the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes, namely :—

(a) to pay expenses in connection with illness, confinement or a disability (including, where necessary, the travelling expenses) of the subscriber or any person actually dependent on him;

(b) to meet the cost of higher education (including where necessary, the travelling expenses) of the subscriber or any person actually dependent on him in the following cases, namely :—

(i) for education outside India for an academic, technical, professional or vocational courses beyond the High School stage ;

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage :

Provided that the course of study is for a period not less than three years;

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with marriages, funerals or other ceremonies;

(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by the subscriber for vindicating his position in regard to any allegations made against him in respect of any act done by him in the discharge of his official duty, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Board source :

Provided that the advance under this clause shall not be admissible to a subscriber who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against the Board in respect of any condition of service or penalty imposed on him;

(e) to meet the cost of his defence where the subscriber is prosecuted by the Board in any court of law where the subscriber engages a legal practitioner to defend himself in an inquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(2) The Chairman may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-rule (1).

(3) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-rule (1) or until repayment has been made of the last instalment of any previous advance together with interest thereon :

Provided that an advance shall in no case exceed the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund.

Explanation 1 : For the purpose of this rule, pay includes dearness pay, where admissible.

Explanation 2 : A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under clause (b) of sub-rule (1).

13. Recovery of advances : (1) (a) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the Secretary may direct, but such number shall not be less than twelve, unless the subscriber so elects, and more than twenty-four;

(b) in special cases where the amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber under sub-rule (3) of rule 12, the Secretary may fix such number of instalments to be more than twenty-four but in no case the number of instalments shall be more than thirty-six.

(c) a subscriber may, at his option, make repayment in a lesser number of instalments than the number of instalments prescribed by these rules.

(d) Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advances being raised or reduced, if necessary to admit of the fixation of such instalments.

(2) (a) Recovery of advance shall be made in the manner provided in rule 9 for the realisation of subscription and shall commence with the issue of the pay for the month following the one in which the advance was drawn.

(b) Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistance grant or is on leave for a period of ten days

or more in a calendar month which period of leave either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half average pay, as the case may be.

(c) Recovery of advance may be postponed on the subscriber's written request by the Secretary during any period when the recovery of an advance of pay granted to the subscriber, is being made.

(3) (d) If more than one advance has been made to a subscriber from the Fund, each advance shall be treated separately for the purpose of recovery.

(4) (a) After the principal of the advance has been fully repaid, interest shall be paid thereon at the rate of one-fifth per cent of the principal for each month or broken portion of a month during the period between the drawal and complete repayment of the principal.

(b) Interest shall ordinarily be recoverable in one instalment in the month after complete repayment of the principal, but, if the period referred to in clause (a) exceeds twenty months, interest may, if the subscriber so desires, be recovered in two monthly equal instalments and the method of recovery shall be that provided in sub-rule (2).

(5) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn, shall forthwith be repaid with interest at the rate specified in rule 11 by the subscriber, to the Fund and where the subscriber makes default in making the repayment the amount withdrawn and interest shall be ordered by the Secretary to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum, or in monthly instalments not exceeding twleve as may be directed by the Secretary.

(6) The recoveries made under this rule shall be credited as they are made, to the account of the subscriber in the Fund.

(7) Notwithstanding anything contained in these rules, in the sanctioning authority is satisfied that money drawn as an advance from the Fund under rule 12 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, the amount in question shall forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one lump sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave :

Provided that if the total amount to be repaid be more than half the subscriber's monthly emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moleties of his emoluments till the entire amount is repaid by the subscriber.

Explanation.—The term "emoluments" in this rule does not include subsistence grant.

14. Withdrawal from the Fund.—Subject to the conditions specified herein, withdrawals may be sanctioned by the Secretary, at any time after the completion of twenty years of service including broken periods of service, if any, of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :—

(a) for meeting the cost of higher education (including, where necessary, the travelling expenses) of any child of the subscriber actually dependent on him in the following cases, namely :—

(i) for education outside India for academic technical or specialised course beyond the High School stage;

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage;

Provided that the course of study is for a period not less than three years;

(b) for meeting the expenditure in connection with the marriage of the subscriber's sons or daughters and any other female relation actually dependent on him;

(c) for meeting the expenses in connection with the illness (including, where necessary, the travelling expenses) of the subscriber or any person actually dependent on him;

(d) for building or acquiring a suitable house for his residence including the cost of the site or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose or reconstructing or making additions or alterations to a house already owned or acquired by a subscriber;

(e) for purchasing a house site or repaying any outsanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;

(f) for constructing a house on a site purchased utilising the sum withdrawn under clause (e);

(g) for acquiring a farm land or business premises or both within six months before the date of the subscriber's retirement.

Explanation.—A subscriber who has availed himself of an advance under the scheme sponsored by the Central Government for grant of advances for house building purposes or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source shall be eligible for the grant of final withdrawal under clauses (d), (e) and (f) for the purposes specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid scheme subject to the limit specified in the provisos to sub-rule (1) of rule 15.

15. Condition for withdrawal.—(1) (a) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in rule 14 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one half of the amount of subscription and interest thereon standing to the credit, of the subscriber in the Fund or six months' pay, whichever is less.

(b) The Secretary may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto threefourths of the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund having due regard to

(i) the status of the subscriber;

(ii) the object for which the witdhdrawal is being made;

(iii) the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund :

Provided that in no case the maximum amount of withdrawal shall exceed Rs. 1,25,000 or 75 times the monthly pay, whichever is less :

Provided further that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the scheme sponsored by the Central Government for the grant of advances for house-building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, the sum withdrawn under this sub-rule together with the amount of advance taken under the aforesaid scheme or the assistance taken from any other Government source shall not exceed Rs. 1,25,000 or 75 times the monthly pay, whichever is less.

Explanation 1.—A subscriber shall be permitted to take a withdrawal once in every six months under clause (a) of rule 14 and every such withdrawal shall be treated as a withdrawal for a separate purpose for the purposes of rule 14.

Explanation 2.—In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house purchased, or a house constructed through a House-Building Co-operative Society or similar agency, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment of any instalment and every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of rule 14.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under rule 14 shall satisfy the Secretary within a reasonable period as may be specified by the Secretary that the money has been utilised for the purpose tor which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purposes for which it was withdrawn, shall forthwith be repaid by the subscriber in one lump sum together with interest thereon at the rate specified in rule 11 by the subscriber to the Fund, and where the subscriber makes default in making the payment, the amount withdrawn and interest shall be ordered by the Secretary to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber either in a lump sum, or in such monthly instalments as may be directed by the Secretary.

(3) (a) A subscriber who has been permitted under clause (d) or clause (e) or clause (f) of sub-rule (1) of rule 14 to withdraw money from the amount of subscription together with interest thereon standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Secretary), gift, exchange or otherwise without the previous permission of the Secretary :

Provided that such permission shall not be necessary for—

(i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or

(ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, nationalised bank or the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alterations to an existing house.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortaged or otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produced before the Secretary on or before the date specified by the Secretary in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(c) If at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Secretary, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him from the Fund in a lump sum to the Fund, and, in default of such repayment, the Secretary shall, after giving the subscriber a a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Secretary.

Explanation.—A subscriber who has taken loan from Government and in lieu thereof has mortgaged the house or house-site to the Government shall be required to furnish a declaration to the following effect, namely :—

"I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to Government."

16. Conversion of an advance into withdrawal.—(1) A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under rule 12 for any of the purposes specified in clauses (a), (b) or (c) of sub-rule (1) of that rule, may convert by written request addressed to the Secretary, the balance outstanding against him in relation to that advance, into a final withdrawal if the purpose for which the advance was sanctioned in a purpose for which the withdrawal can be made under rule 14 and the advance satisfies the other conditions specified in rules 14 and 15.

(2) For the purposes of this rule in calculating the amount that may be allowed to be withdrawn by a subscriber under sub-rule (1) of rule 15, the amount of subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance of subscription and interest lying to his credit in his account and each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

17. Final withdrawals of accumulations in the Fund.—When a subscriber quits the service, the amount outstanding to his credit in the Fund shall, subject to any deduction under rule 20, become payable to him :

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Board repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate specified in rule 11, in the manner provided in the proviso to rule 18. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund, the part which represents his subscriptions and interest thereon, and the part which represents the Board's contribution with interest thereon being accounted for in the manner provided in rule 6.

Explanation 1.—A subscriber who is granted refused leave shall be deemed to have quit the service from the date of compulsory retirement or on the expiry of an extension of service.

Explanation 2.—A subscriber other than the one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, with or without a break in service, shall not be deemed to quit the service, when he is transferred without any break in service to a new post under a State Government or in another department of the Central Government (in which he is governed by another set of Provident Fund Rules) and without retaining any connection with his former post. In such a case, his subscription and the Board's contribution together with interest thereon shall not be transferred—

(a) to his account in the other Fund in accordance with the rules of the Fund, if the new post is in another department of the Central Government; or

(b) to a new account under the State Government concerned if the new post is under a State Government and the State Government consents, by general or special order, to such transfer of his subscriptions, the Board's contribution and interest.

Explanation 3.—Transfer should be held to include cases of resignations from service in order to take up appointment in another department of the Central Government or under the State Govenment without any break and with proper permission of the Board. In cases, where there has been break in service, it shall be limited to the joining time allowed on trasfer to a different station. The same shall hold good in cases of retrenchments followed by immediate employment whether under the same or different Government.

Explanation 4.—(a) When a subscriber other than the one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, is transferred without any break, to the service under another body corporate, owned or controlled by Govenment or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), the amount of subscriptions and the Board's contribution together with interest thereon shall not be paid to him but shall be transferred with the consent of that body, to his new Provident Fund Account under that body.

(b) Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under another body corporate, owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), without any break and with proper permission of the Board. The time taken to join the new post shall not be treated as a break in service

if it does not exceed the joining time admissible under Government rules on transfer from one post to another.

18. Retirement of subscriber.—When a subscriber—

(a) has proceeded on leave preparatory to retirement ; or

(b) while on leave, has been permitted to retire or declared by competent medical authority to be unfit for further service,

the amount of subscriptions and interest thereon standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Secretary become payable to the subscriber :

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall if required to do so by the Secretary repay to the Fund, for credit to his account, the whole or part of any amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule, with interest thereon at the rate provided in rule 11 in cash or securities, or partly in cash and partly in securities, by instalments or otherwise by recovery from his emoluments or otherwise, as the Secretary may direct.

19. Procedure on death of subscriber.—Subject to any deduction under rule 20, on the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.

(i) when the subscriber leaves a family,—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 5 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination ;

(b) if no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family become payable to the members of his family in equal shares :

Provided that no share shall be payable to—

(i) sons who have attained majority ;

(ii) sons of a deceased son who have attained majority;

(iii) married daughters whose husbands are alive ;

(iv) married daughters of a deceased son whose husbands are alive.

If there is any member of the family other than those specified in clauses (i), (ii), (iii) and (iv):

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he has survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (i) of the first proviso.

Note : (i) Any sums payable under these rules to a member of the family of a subscriber vests in such member under sub-section (2) of section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925).

(ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 5 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

Explanation 1.—When a nominee is a dependent of the subscriber as defined in cause (c) of section 2 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the amount vests in such nominee under sub-section (2) of section 3 of that Act.

Explanation 2.—When the subscriber leaves no family and no nomination made by him in accordance with the provisions of rule 5 subsists, or if such nomination relates only to part of the amount standing to his credit in the Fund, the relevant provisions of clause (b) and of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 4 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) are applicable to the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate.

20. Deductions.—Subject to the condition that no deduction may be made which reduce the credit by more than the amount of any contribution by the Board with interest thereon credited under rules 1 and 11, before the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund, is paid out of the Fund,—

(A) The Secretary may direct the deduction therefrom and payment to the Board of—

(i) all amounts representing such contribution and interest, if the subscriber is dismissed from service due to misconduct, insolvency or inefficiency :

Provided that where the Secretary is satisfied that such deduction would cause exceptional hardship to the subscriber he may, by order, exempt from such deduction an amount not exceeding, two-third of the amount of such contribution and interest which would have been payable to the subscriber if he had retired on medical grounds :

Provided further that if any such order of dismissal is subsequently cancelled, the amount so deducted shall, on his reinstatement in the service be replaced to his credit in the Fund :—

(ii) all amounts representing such contribution and interest if the subscriber within five years of the commencement of his service as such, resigns from the service or ceases to be an employee under the Board otherwise than by reason of death, superannuation, or a declaration by a competent medical authority that he is unfit for further service, or the abolition of the post or the reduction of establishment ;

(B) the Secretary may direct the deduction therefrom and payment to the Board of any amount due under a liability incurred by a subscriber to Board.

Explanation.—For the purpose of sub-clause (ii) of clause (A) of this rule—

(a) the period of five years shall be reckoned from the commencement of the subscriber's continuous service under the Board.

(b) resignation from service in order to take up appointment in another department of the Central Government or under the State Government or under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) without any break and with proper permission of the Board shall not be treated as resignation from service under the Board.

21. Manner of payment or amount in the fund.—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund, or the balance thereof after any deduction under rule 20, becomes payable it shall be the duty of the Secretary, after satisfying himself, when no such deduction has been directed under that rule that no deduction is to be made to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-rule (3).

(2) If the person to whom, under these rules, any amount is to be paid, is lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912), the payment shall be made to such manager and not to the lunatic :

Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall, under the

orders of the Collector, be made in terms of sub-section (1) of section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912), to the person having charge of such lunatic and the Secretary shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members to the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

(3) (a) Any person who desires to claim payment under this rule shall send a written application in that behalf to the Secretary ;

(b) payment of amounts withdrawn shall be made in India only ;

(c) the persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payments in India.

Explanation.—When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under rules, 17, 18, or 19, the Secretary shall authorise prompt payment of that portion of the amount standing to the credit of a subscriber in regard to which there is no dispute or doubt, the balance being adjusted as soon after as may be.

22. Number of Account to be quoted at the time of payment of subscription.—When paying a subscription either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund, which shall be communicated to him by the Secretary and any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Secretary.

23. Annual statement of Account to be supplied to the subscriber.—(1) (a) As soon as possible after the 31st March of each year, the Chief Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date.

(b) the Chief Accounts Officer shall attach to the statement of account on enquiry whether the subscriber :—

(i) desiree to make any alteration in any nomination made under rule 5 ;

(ii) has acquired a family in a case where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the first proviso to sub-rule (1) of rule 5.

(2) A subscriber shall satisfy himself as to the correctness of the annual statement and errors shall be brought to the notice of the Chief Accounts Officer within three months from the date of receipt of the statement.

(3) The Chief Accounts Officer shall, if required by a subscriber, once but not more than once in a year, inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

24. Application to be addressed to the Secretary.—All applications under these rules shall be addressed to the Secretary.

25. Relaxation of the provisions of the rules in individual cases.—When the Board is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, the Board may, notwithstanding anything contained in these rules, deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to Board to be just and equitable.

26. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for its decision, who shall decide the same.

FIRST SCHEDULE

[See rule 5(3)]

FORMS OF NOMINATION

I. When the subscriber has a family and wishes to nominate one member thereof.

I hereby nominate the person mentioned below, who is a member of my family as defined in rule 2 of the Oil Industry Development Board (Employees, Contributory Provident Fund) Rules, 1978, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid :—

Name and address of nominee	Relationship with subscriber	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalide	Name, address and relationship of the person/persons if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber

Dated the day of 197

at.....

Signature of subscriber

Two witnesses to signature.

1.

2.

II. When the subscriber has a family and wishes to nominate more than one member thereof.

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family as defined in rule 2 of the Oil Industry Development Board (Employees, Contributory Provident Fund) Rules, 1978 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event

of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names :—

Name and address of nominee	Relationship with subscriber	Age	Amount of share of accumulations to be paid to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber

Dated this day of 197
at.....

Signature of subscriber

Two witnesses to signature
1.
2.

III. When the subscriber has no family and wishes to nominate one person.

I, having no family as defined in rule 2 of the Oil Industry Development Board (Employees' Contributory Provident Fund) Rules, 1978 hereby nominate the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid :—

Name and address of nominee	Relationship with subscriber	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber.

Dated this day of 197
at.....

Signature of subscriber

Two witnesses to signature.
1.
2.

IV. When the subscriber has no family and wishes to niminate more than one person.

I, having no family as defined in rule 2 of the Oil Industry Development Board (Employees' Contributory Provident Fund) Rules, 1978, hereby nominate the persons mentioned below to receive the amount that stand to my credit in the Fund, in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown below against their names :—

Name and address of nominee	Relationship with subscriber	Age	Amount of share of accumulations to be paid to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber

Dated this day of 197
at.....

Signature of subscriber

Two witnesses to signature
1.
2.

[File No 7(13)/78-PED]
S L KHOSLA, Jt. Secy. Financial Advisor

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978